न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2017 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 21.02.2017
GCMS NO. :-2017/00041

सुशील कुमार आत्मज मांगीलाल सोनी निवासी बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

चेतनदास आत्मज जमनादास वैष्णव निवासी बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बेगूं प्र. सं. 01/2014 मुत. रेवेन्यू दिनांक 15.02.2017

उपस्थितिः– 1– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव में आकर सारी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण कर मनमाने ढ़ंग से

अपीलार्थी को जलील व परेशान करने की नियत से रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया जो विधि-विरूद्ध एवं अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। धारा 251 के अन्तर्गत पूर्व में यदि कोई रास्ता है जिसे अवरूद्ध किया गया हो तो उसे अधीनस्थ न्यायालय को खुलवाने का अधिकार प्रदान है जबकि कोई नया रास्ता खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह नियमों के विपरीत यह आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली प्राप्त होने तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयदीप बीलू ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया कि मौजा सुलीमगरा की आराजी नम्बर 196, 199, 200 एवं 201 किता 4 कुल रकबा 0.38 है. भूमि में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का अंकित होकर उसके हिस्से की भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता सूलीमगरा चेंची रोड़ से आता है जिसे अपीलार्थी द्वारा बंद कर दिया है जिसे खुलवाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधारों के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बगैर एवं बिना वैधानिक स्थिति का आंकलन व विवेचन किए, राजनैतिक दबाव में आकर यह निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी, बेगूं में प्रभावी नेता है और नगर अध्यक्ष भी रहे हैं उन्होने विधायक महोदय को दिनांक 19.02.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की जिस पर विधायक महोदय के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने उनके दबाव मे आकर सारी कार्यवाही

पक्षपातपूर्ण एवं मनमाने ढंग से की है। धारा 251 के तहत यदि पूर्व में कोई रास्ता विद्यमान है और उस रास्ते को किसी के द्वारा अवरूद्ध किया गया है तो उस रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय को खुलवाने के अधिकार है ना कि नया रास्ता कायम करने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा अपने कब्जेयाबी की आराजी उसके पूर्व खातेदारान से दिनांक 02.03.1995 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से काबीज होकर कब्जेशुदा आराजी के चारों ओर पत्थर की कोट लगा फाटक बना रखी है जहां पहले से कोई रास्ता होने का प्रश्न ही नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी की होकर आपसी सहमति से विभाजन कर मौके पर काबीज हो उपयोग-उपभोग कर रहे हैं ऐसी अवस्था में जब भूमि दोनों पक्षों की संयुक्त खातेदारी की है तो एक सह खातेदार का दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध सुखाधिकार कैसे हो सकता है। रेस्पोडेन्ट का मुझ अपीलार्थी की कब्जेयाबी की आराजी पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा बल्कि उसका पुश्तैनी रास्ता भूतियाखाल से होकर आता-जाता है बीच में नाला पड़ने से तथा नाले की पुलिया की मरम्मत ठीक से नही होने से रेस्पोडेन्ट मेरी आराजी मे से नया रास्ता कायम करना चाहता है। पर्चा मौका रिपोर्ट जो बनाया गया है वो भी अपीलार्थी की उपस्थिति में नहीं बनाया गया। जो नक्शा ट्रेस है उसमें भी कब्जेशुदा आराजी की दक्षिण दिवाल में दक्षिण में पैदल का रास्ता बताया गया है और अपीलार्थी की आराजी में कोई रास्ता नहीं बताया है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं में बंटवाडे का दावा पेश कर रखा है जहां से भी अपीलार्थी के पक्ष मे विवादित आराजीयात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट व अन्य सह खातेदारों के आपसी ईकरार अनुसार भी अपीलार्थी की आराजीयात पर कोई रास्ता नहीं है और रेस्पोडेन्ट का रास्ता भूतियाखाल की तरफ है जिसका रस्पोडेन्ट सदैव उपयोग कर रहा है और लगातार फसल ले रहा है वर्तमान में भी आराजी संख्या 201 में गेहूं की फसल खडी है इस प्रकार यदि रेस्पोडेन्ट के कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता तो फसल कैसे हो सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 पूर्णतया राजनैतिक दबाव

में आकर पक्षपातपूर्ण पारित किया है जो कि अवैधानिक एवं विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार विवादित आराजीयात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट तथा अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो पर्चा मौका दिनांक 29.03.2014 उपलब्ध है उसमें पटवार हल्का बेगूं एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, बेगूं द्वारा यह अंकित किया है कि ''आराजी नम्बर 201 मे जाने का रास्ता आराजी नम्बर 199 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर पश्चिमी मेड़ पार कर जाना उपस्थित मौतबिरान ने बताया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड नक्शा में अंकित नहीं है।'' अतः मौका पर्चा दिनांक 29.03.2014 अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 199 मे से होकर जाने का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है।

धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसारः-''धारा 251- मार्ग तथा अन्य निजी सुखचारों के अधिकारः- किसी भू-धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू-धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक-आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।'' जिसके तहत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू-धारक को मार्गाधिकार तथा अन्य सुखाचार या अधिकार का आनन्द लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है जिसके तहत भूमिधारी तहसीलदार भू-धारक के आवेदन पर यदि कोई रेकार्डेड रास्ता किसी के द्वारा अवरूद्ध किया गया है तो उसे खुलवाने हेतु अधिकृत है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तथ्यों की जांच किए बगैर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक बेगूं व पटवार हल्का बेगूं की रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया जाना प्रतिवेदित होता है।

रेस्पोडेन्ट ने इस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये पुष्टि होती हो की आराजी नम्बर 201 मे जाने के लिए आराजी नम्बर 199 में से कई वर्षों से कदीमी रास्ता कायम हो जिसे अपीलार्थी द्वारा अवरूद्ध किया गया हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट के भूतियाखाल में से होकर आने-जाने का रास्ता बताने पर उसके संबंध में भी कोई जांच नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत भूमिधारी तहसीलदार को कदीम रास्ता जो वर्षों से आने-जाने का कायम हो तथा उसे किसी के द्वारा अवरूद्ध किया गया हो तो उसे ही खुलवाने का अधिकार प्रदत्त है ना कि कोई नया रास्ता कायम करने का। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच किए बिना विवादित आदेश दिनांक 15.02.2017 पारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.02.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को दस्तावेज पेश करने, सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर तथा तथ्यों की पूर्ण जांच कर, उभय पक्ष की उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा भूतियाखाल में से होकर आने-जाने के रास्ते के संबंध में उठाये गये बिन्दु के संबंध में भी मौका जांच कर पुनः नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)